ISSN 2278-8808
UGC APROVED SR. NO. 49366
SJIF 2016 = 6.177
An International Peer Reviewed & Referred
SCHOLARLY RESEARCH JOURNAL
FOR INTERDISCIPLINARY STUDIES

वित्तीय समावेशन एवं सामाजिक विकास

डॉ कृष्णा शुक्ला

असिसटेंट प्रोफेसर पीजीडीएवी कॉलेज (सांध्य) दिल्ली यूनिवर्सिटी

Scholarly Research Journals is licensed Based on a work at www.srjis.com

भूमिका—

वित्तीय समावेशन का आज के युग में सामाजिक उत्थान के लिए बहुत अधिक महत्व है। मूलरूप से वित्तीय समावेशन का उद्धेश्य समाज के निम्न आय वर्ग तथा सामाजिक दृष्टि से पिछडे वर्ग को वित्तीय सहायता एवं पोषण प्रदान कराना है। ऐसा होने से इस वर्ग में आने वाले परिवारों को आर्थिक रूप से स्वावलम्बी होने में तथा सामाजिक स्तर को उन्नत बनाने में सहायता मिलती है। सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं के माध्यम से इस दिशा में आवश्यक प्रावधान करने के बाद भी छोटे और मझले किसानों से पर्याप्त सहायता नही मिल पाई हैं। इस दिशा में बैंकिंग संस्थानों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है क्योंकि वित्तीय समावेशन के माध्यम से इनको व्यापारिक अवसर तो मिलता ही है यह उनके सामाजिक उत्तरदायित्व की पूर्ति में भी सहायक होता है। वित्तीय समावेशन में सूक्ष्म वित्तीय संस्थानों एवं स्वयं सहायता समूह अभियान की भी मदती भूमिका होती है। सब प्रकार के वित्तीय समावेशन के लिए जिम्मेदार निकायों एवं सस्थानों के प्रभावी निष्पादन के लिए तथा गैर राजनैतिक एवं निष्पक्ष रूप से इसके द्वारा लक्षित विभिन्न सामाजिक समूहों एवं कार्य समूहों तक अधिकाधिक पहुँच बढाने के लिए इस योजना के गैर राजनैतिक प्रयासों एवं अधिक प्रभावी नियामक प्रक्रियाओं के सृजन की आवश्यकता है।

वित्तीय समावेशन का संक्षिप्त राजनीतिक सफर—

१९६९ में भारत में बैंकों के राष्ट्रीयकरण के पश्चात भौगोलिक एवं क्रियान्वयन संबंधी पहुँच का पर्याप्त विस्तार हुआ। इसके अंतर्गत सभी वाणिज्यिक बैंक, सभी आंचलिक ग्रामीण बैंक तथा सभी सहकारी वित्तीय संस्थाएं आती है। विशेषज्ञों के अनुसार इतनी अधिक औपचारिक संस्थानों को वित्तीय समावेशन का अवसर मिलने के बाद भी बडी संख्या में विभिन्न सामाजिक एवं आर्थिक समूह इनके लाभ से वंचित रहे। उदाहरण के लिए छोटे एवं

मध्यम कृषक समूह, कारीगरों सहित असंगठित कामगार वर्ग, स्वयं नियोजक समूह, पेंशन भोगी एवं विभिन्न कामगार महिला समूह इस योजना के लाभ से वंचित रहे।

भारत के तत्कालीन केन्द्रीय वित्तमंत्री श्री पी. चिदम्बरम् ने लोकसभा में २००६—२००७ के बजट में यह जानकारी दी कि देश के कुल कृषक समुदाय में से केवल २७: को औपचारिक संस्थानों से ऋण की प्राप्ति होती है जबकि २२: इस समुदाय के लोग अनौपचारिक स्त्रोतों से ऋण प्राप्त करते हैं। १९६९ में हुए बैंको के राष्ट्रीयकरण के पश्चात ३७ वर्षों में भी इन बैंकिंग संस्थानों एवं अन्य सरकारी वित्तीय संस्थाओं के द्वारा वित्तीय समावेशन का व्यापक लक्ष्य रखनें के बाद भी केवल कृषि क्षेत्र में हैं। इतने कम प्रतिशत लोगों को इसका लाभ मिल पाया।

इन तथ्यों के आधार पर श्री पी. चिदम्बरम् ने वित्तीय समावेशन के घोषित उद्धेश्य को प्राप्त करने के लिए एवं अब तक की अनुभव की गई कमी को दूर करने के लिए एक समिति बनाने की घोषणा की। इस घोषणा के पश्चात प्रसिद्ध अर्थशास्त्री सी. रंगराजन की अध्यक्षता में वित्तीय समावेशन पर पुर्नविचार करने के लिए इस समिति का गठन किया गया। यह समिति विभिन्न वित्तीय संस्थानों के द्वारा लक्षित समूहों तक अधिक से अधिक पहुँच कैसे बनायी जा सकती है इसके लिए सुझाव देना तथा लाभान्वित समूहों के द्वारा इन वित्तीय सेवाओं का लाभ प्रदान करने में आने वाली बाधाओं को कैसे कम किया जा सकता है यह भी रेखांकित करना था। जिससे ये संस्थायें सही अर्थों में ष्यूजर फ्रेंडलीष बन सकें। माननीय वित्त मंत्री द्वारा यह भी स्पष्ट किया गया कि भारतीय रिजर्व बैंक वित्तमंत्री द्वारा यह भी स्पष्ट किया गया कि भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई.) एवं राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) भी बडी मात्रा में लाभार्थी सामाजिक समूहों के वित्तीय समावेशन न होने से चिंतित है।

उपरोक्त सभी तथ्यों का उल्लेख करने का उद्धेश्य यह है कि वित्तीय समावेशन से वंचित समूहों तक लाभ पहुँचाने में आने वाली बाधाओं और चुनौतियों का तथ्यात्मक पुनरावलोकन करने की आवश्यकता अनुभव की गई। बहुत वृहद होने के कारण इसके कुछ ही आर्थिक एवं सामाजिक विकास की पृष्ठभूमि में यह विषय इस लेख में चर्चा करेंगें।

प्रमुख निकायों / संस्थानों द्वारा वित्तीय समावेशन के संदर्भ में किया गया अध्ययन एवं जानकारी —

भारतीय रिजर्व बैंक की वित्तीय समावेशन में महत्वपूर्ण भूमिका है। इस संख्या के द्वारा इस विषय में विस्तारपूर्वक अध्ययन किया गया जिसका उल्लेख भारतीय रिजर्व बैंक को वेबसाई उण्इपण्वतहण्पद में क्रमबद्ध तरीके में दिया गया है। इसमें भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत सरकार द्वारा दिये गये दिशा निर्देशों के आधर पर वित्तीय समावेशन के दृष्टिकोण (विजन) को स्पष्ट करते हुए निम्न बिंदु रेंखांकित किये हैं—

१. वित्तीय सेवाओं तक सभी वर्गों की सहज पहुँच।

२. वित्तीय सेवाओं के माध्यम से मूलभूत क्षेत्रों में सहायता प्रदान करना।

३. अर्धोपार्जन एवं कौशल विकास की सुविधा उपलब्ध कराना।

४. वित्तीय साक्षरता एवं शिक्षा प्रदान करना।

५. उपभोक्ता संरक्षण एवं शिकायतों के निपटान की व्यवस्था।

६. प्रभावी समन्वयन

भारतीय रिजर्व बैंक ने उपरोक्त पद्वति के माध्यम से सभी लक्षित उपभोक्ता समूहों को दी जानी वाली वित्तीय सेवाओं तक सभी की समान रूप से उपलब्धता पहुँच एवं वहन क्षमता को सुनिश्चित करने का माध्यम बताया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने अध्ययन में उन कारणों का भी उल्लेश किया है जिसकी वजह से वित्तीय समावेशन लाभार्थियों तक नही पहुँच पाता है। इस रिर्पोट में वित्तीय समावेशन के वंचित रहने के निम्न कारण बताये गये हैं—

१. अतिरिक्त आय का अभाव।

२. लाभार्थियों की आवश्यकता के अनुकूल न होना।

३. आवश्यक दस्तावेजों का अभाव।

४. दिये जाने वाले लाभ की जानकारी का अभाव

५. व्यवस्था के प्रति विश्वास में कमी।

६. लेन—देन निष्पादन की लागत का मंहगा होना।

७. सेवा प्रदायी निकाय का पहुँच से दूर होना।

८. प्रदान की गई सेवाओं की गुणवत्ता में कमी।

इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय समावेशन के दार्शनिक बिंदुओं का प्रतिपादन करने के साथ—साथ इसकी असफलता के कारणों एवं चुनौतियों का भी तथ्यपरक विश्लेषण किया है। इस रिर्पोट में वित्तीय समावेशन की सफलता के लिए तीन आधर स्तम्भ बताये गये हैं—

१. वित्तीय समावेशन संबंधी नीतियाँ

२. वित्तीय साक्षरता संबंधी विभिन्न प्रयास

३. उपभोक्ता समस्याओं के विस्तारण की व्यवस्था

इसी प्रकार का एक विस्तृत अध्ययन दिल्ली स्थित आई.ए.एस. कोचिंग संस्थान ष्दृष्टिष द्वारा किया गया है जिसमें उन्होने वित्तीय समावेशन सूचकांक के माध्यम से वित्तीय समावेशन के सभी पक्षों के तथ्यात्मक एवं गुणात्मक पहलुओं को विस्तार से स्पष्ट किया है जिसकी जानकारी संस्था ने अपनी वेबसाइट पर डाली है।

इसी प्रकार भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा भी इस विषय में वर्ष दर वर्ष हासिल की गई स्थिति की तथ्यपरक जानकारी दी गई हैं। उपरोक्त जानकारी के आधार पर यह कहा जा सकता है कि भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक और इस क्षेत्र में काम करने वाली अग्रणी स्वायत संस्थाओं द्वारा वित्तीय समावेशन के विषय में पर्याप्त अध्ययन एवं शोध किया गया है। यह एक सकारात्मक पहल है। बजट के घोषणाओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि इस क्षेत्र में अभी बहुत प्रयास करने की आवश्यकता है। विगत कुछ वर्षो में प्रधानमंत्री जन धन योजना इस दिशा में किया गया एक क्रांतिकारी प्रयास है पर यह भी सर्वविदित है कि प्रधानमंत्री जन धन योजना का लाभ लाभार्थियों तक पहुँचने में अभी पर्याप्त समन्वय और क्रियान्वयन संबंधी कठिनाइयों का सटीक मूल्यांकन होना अत्यंत आवश्यक हैं।

निष्कर्ष—

इस लेख में दी गई जानकारी के आधार पर यह कह सकते हैं कि वित्तीय समावेशन के महत्व को प्राथमिकता के आधार पर देश की विकास योजना में स्थान दिया गया है। सभी लक्षित लाभार्थियों तक इस लाभ को पहुँचाने की दृष्टि से योजनाओं की समीक्षा और उनके क्रियान्वयन और समन्वय में आवश्यक सुधार के लिए भी भारत सरकार द्वारा एवं बैंकिंग संस्थानों व अन्य वित्तीय स्वायत निकायों द्वारा सत्त प्रयास किये गये हैं। इसके पश्चात भी इस योजना के लक्षित समूहों को पूरा लाभ पहुँचाने तथा जो सामाजिक वर्ग इसके दायरे में अभी तक नही आ पाये हैं उनको पहचान कर योजना की व्यापकता को बढाने एवं सार्थक करने में और प्रभावी नियमन एवं नियंत्रण की पर्याप्त आवश्यकता है। वित्तीय समावेशन के सभी अपेक्षित वर्गो तक पहुँचने के लिए भारत के सभी राज्यों की राज्य सरकारों की भूमिका तथा केंद्र सरकार के साथ समन्वय करते हुए प्रत्येक राज्य के लाभार्थियों तक इसको पहुँचाने में उनकी सकारात्मक एवं सक्रिय भूमिका निर्णायक सिद्व होगी।

References

Gol (2006): "Union Budget, 2006-07 Ministry of Finance, Government of India. Mahajan, Vijay (2004): Deregulating the Rural Credit', Seminar, September.

NSSO (2005): Indebtedness of Farmer Households 2003, NSS Report no 498, Central Statistical Organisation, Government of India.

Ramachandran, V K and M Swaminathan (2005):

Financial Liberalisation and Rural Credit in India, Tulika Publications, New Delhi.

Rangarajan, C (2005): Agricultural Credit: Reaching the Marginalised Farmers', lecture delivered at the Bankers' conference (BANCON) 2005, Kolkata, November 12.

Reddy, Y V (2005): Micro Finance: Reserve Bank's Approach', RBI Bulletin, September.

Shetty, SL (2003): 'Credit Flows to Rural Poor', mimeo, EPW Research Foundation, Mumbai.

Thorat, Y S P (2006): Indian Banking: Shaping an Economic Power House', lecture delivered at Banking Conclave 2006 organised by FICCI at Kolkota, July 31.

Thorat, Usha (2006): 'Financial Inclusion and Millennium Development Goals', RBI Bulletin, February.